

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

-: अधिसूचना :-

पत्र सं०

सिवान दिनांक 8/4/13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा- कमसड़ा, थाना नं०- 232, थाना- बंसतपुर, परगना- बाल, जिला- सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् पटना-मोतीहारी-बैतालपुर पाईप लाईन के स्क्रैपर स्टेशन निर्माण हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा- कमसड़ा, थाना नं०- 232 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम-बेस 3.46 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिसूचित खेसरा निम्न प्रकार है :- 732 पूर्ण, 733 पूर्ण, 734 पूर्ण, 735 पूर्ण, 736 पूर्ण, 737 पूर्ण, 738 पूर्ण, 739 पूर्ण एवं 740 पूर्ण।

अधिसूचित भूमि की चौहद्दी

उत्तर - 742 पूर्ण, 743 पूर्ण, 744 पूर्ण।

दक्षिण - 1407 पूर्ण, 731 पूर्ण।

पूरब - 774 पूर्ण।

पश्चिम- सड़क 741 पूर्ण।

यह अधिसूचना भू अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार भू-अर्जन अधिनियम II सन् 1984 के सुधार के अनुसार संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है। सरकारी भूमि पाये जाने पर हस्तान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

2/11/12
समाहर्ता,
सिवान।

201
सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, ~~दरभंगा~~ ^{सिवान} को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, ~~दरभंगा~~ ^{सिवान} को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, ~~दरभंगा~~ ^{सारण} प्रमंडल, ~~दरभंगा~~ ^{छपरा} को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, ~~दरभंगा~~ ^{सिवान} को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक संख्या-15/डी0 एल0 ए0 सिवान (पेट्रो0) - 01/2013 - 1044 दि0-8/4/13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सिवान को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव।